न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 214/17 धारा 144 द0प्र0सं0

किशुन ठाकुर ..... प्रथम पक्ष

बनाम्

बालेश्वर ठाकुर वगै0 ..... द्वितीय पक्ष

आदेश

दिनांक 07-09-2017 अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत। यह वाद थाना प्रभारी सरिया एवं पुलिस निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम पक्ष के किशुन ठाकुर एवं द्वितीय पक्ष के बालेश्वर ठाकुर वगै0 के प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोक लगाई गई साथ ही उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग किया गया। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न इस प्रकार है :-

मौजा- बड़की सरिया, थाना- सरिया, जिला- गिरिडीह के खाता संख्या- $\frac{200}{471}$, खेसरा संख्या- 4608, रकवा 3.20 ए0, चौहद्दीः उ0- दुबैर महतो (गोप), द0- रास्ता, पू0- अरत सुन्डी, प0- चतूर हजाम ।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल कर अपने दलील में बताया गया कि यह जमीन प्रथम पक्ष के दादा जानकी हजाम के नाम से हुकुमनामा से प्राप्त है और उनका नाम पंजी-II में दर्ज है तथा उन्हें वर्ष1958-59 से 2016-17 तक राजस्व रसीद प्राप्त है एवं तबसे उक्त जमीन पर दखलकार चले आ रहे हैं। उस प्लौट पर मकान, कुआँ अवस्थित है तथा कुछ हिस्से में खेती-बारी का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 16.05.2017 को सुबह 10.00 बजे द्वितीय पक्ष के लोगों के द्वारा इस जमीन पर मकान निर्माण करने हेतु कुदाल, गैता से खुदाई शुरू कर दिये जिससे शांति भंग होने की समस्या उत्पन्न हुई।

प्रथम पक्ष द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज के छायाप्रति प्रस्तुत किए है-

1. पंजी II
2. राजस्व रसीद

C.C. Issued 26/04/18

C.C. Issued 25/5/18

C.C. Issued 25/6/2018

द्वितीय पक्ष के द्वारा न कोई कारण पृच्छा दाखिल किया गया और न ही किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया ।

पुलिस प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया गया है कि उभय पक्ष उक्त जमीन को अपने पक्ष में करने को लेकर तत्पर हैं । उभय पक्ष एक–दूसरे को दोष देकर जमीन अपने पक्ष में करना चाहते हैं।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों व थाना प्रभारी, सरिया के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मामला भूमि के हक–हकियत से संबंधित है। चुँकि वाद की कार्यवाही धारा 144 द0प्र0सं0 के तहत शांति बनाये रखने के लिए प्रारम्भ हुई, जिसकी अवधि मात्र 60 दिनों की होती है। निर्धारित अवधि के दौरान कोई अप्रिय घटना अथवा शांति भंग नहीं हुई ऐसी परिस्थिति में आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है।

अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।